भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

भूमि उच्छेद वाद सं0–05 / 2016–17

अंचल अधिकारी, गोड्डा

बनाम्

राजीव जायसवाल

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

आदेश

25-5-18

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष द्वारा पक्ष रखा गया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक– 934 / रा0, दिनांक–29 / 06 / 2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा– गंगटा खुर्द, थाना नं0– 515, ज0 नं0–51, दाग नं0–1086 / 1386 रकवा–00–01–10 धुर जमीन जो खतियान में देवान हाँसदा वगैरह वर्त्तमान जमाबंदी रैयत जयनारायण हाँसदा वगैरह, पे0–रामकाश हाँसदा साकिन– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, गोड्डा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री राजीव जायसवाल द्वारा दाग नं0–1086 रकवा–00–01–10 धुर आदिवासी भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर घर बना लिया गया है।

अवैध दखलकार को दो बार नोटिश किया गया। परन्तु वे दखल भूमि पर नहीं रहते है। नोटिश को घर के समीप चस्पा कर दिया गया है।

भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, गोड्डा अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर वर्त्तमान जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 25-5-18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

(हस्ताक्षर) 25-5-18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

25/5/18

31/5/18